

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा में

सभी डी०डी०ओ०,
श्रम विभाग, हरियाणा राज्य।

क्रमांक: स्था/०३/२०१८/ १५३५-४६
दिनांक: २२/१२

विषय:-

Haryana Vidhan Sabha, Starred Question No. *2490.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

विषय सम्बंध में सादर सूचित किया जाता है कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना मांगी गई है:-

- Whether it is a fact that the recruitment of employees is being made on out sourcing (DC rate) in the state; if so, the criteria thereof;
- Whether the Government is providing proper reservation to SC, BC and Ex-Servicemen as referred in part (a) above; and
- The district wise number of the employees appointed from 01.04.2014 to 31.01.2018 as mentioned in part (a) and (b) above?

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप आपके कार्यालय में आउटसोर्सिंग आधार पर वर्ष २०१४-२०१८ तक लगाये गये कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नलिखित निर्धारित प्रोफार्मा में आज दिनांक ०५.०३.२०१८ तक सांय ४.३० तक भेजें, क्योंकि यह सूचना विधान सभा सेशन में उपलब्ध करवायी जानी है:-

Sr. No.	Name of the Department	No. of employees recruited on outsourcing Policy between 01.04.2014 to 31.01.2018 (alongwith Date of Joining)	SC	BC	ESM

उपरोक्त सूचना establishment+456@gmail.com पर मिजवाना सुनिश्चित की।

Rajinder

उप अधीक्षक (स्था०)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।